

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्यमंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4228
18 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

समान आवास नीति

4228. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी :

श्री संजय सेठ :

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की एक समान आवास नीति बनाने हेतु निर्देशित करने पर विचार कर रही है चूंकि इन नीतियों में अंतर से एकीकृत दिशानिर्देश तैयार करने में परेशानी पैदा होती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से नई आवास नीति का मसौदा तैयार करने हेतु परामर्शदाता नियुक्त किए हैं जिसका बलआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु सस्ते घर प्रदान करने पर होगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 में किफायती आवास हेतु नीतिगत ढांचे का प्रावधान है जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को वहनीय कीमतों पर भूमि, आश्रय और सेवाओं की समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश में पर्यावास सुस्थिर विकास को बढ़ावा देना है। इस नीति में शहरी स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी) तैयार करने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) : जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

* * *